भारत गणतंत्र सरकार
और
लिथुआनिया गणतंत्र सरकार
के बीच विमान सेवा के संबंध में करार

भारत गणतंत्र सरकार और लिथुआनिया गणतंत्र की सरकार, जिन्हें एतत्पश्चात् संविदाकारी पक्ष कहा गया है,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के पक्ष हैं,

अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजनार्थ नागर विमानन के क्षेत्र में पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने तथा एक करार करने के इच्छुक हैं,

इस प्रकार सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद-1
परिभाषा

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न की गई हो:

(क) *वैमानिकी प्राधिकारी* पद का अभिप्राय, भारत गणतंत्र के मामले में नागर विमानन महानिदेशक तथा लिथुआनिया गणतंत्र के मामले में परिवहन और संचार मंत्रालय अथवा दोनों मामलों में, कोई व्यक्ति अथवा निकाय जिसे उक्त प्राधिकारियों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया हो,

(ख) *अभिसमय* पद का अभिप्राय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत कोई भी अनुबंध तथा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 94 अथवा 90 के अंतर्गत अभिसमय अथा अनुबंधों में किया गया कोई भी संशोधन शामिल है जहां तक वे अनुबंध और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों के लिए प्रभावी हो गए हों,

(ग) *नामित विमानकंपनी* पद का अभिप्राय ऐसी विमानकंपनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत कर दिया गया हो,

(घ) किसी राज्य के संबंध में *राज्यक्षेत्र* पद का अभिप्राय वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसके लिए निर्धारित किया गया है,

(ङ) *विमान सेवा*, *अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा*, *विमानकंपनी* तथा *गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए स्टाप* पदों का अभिप्राय वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किया गया है,

(च) *इस करार* पद का अभिप्राय इस करार अथवा इसके अनुबंध में किया गया संशोधन भी शामिल है,

(छ) *प्रयोक्ता प्रभार* पद का अभिप्राय उस प्रभार से है जो विमानों, उनके कर्मीदलों, यात्रियों तथा कार्गो हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा सुविधाओं सहित विमानपत्तन परिसम्पत्ति अथवा सुविधाएं अथवा विमान दिक्चालन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने विमानकंपनियों पर लगाया हो अथवा लगाने की अनुमति दी हो।

अनुच्छेद-2
अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष एक दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार के अनुबंध में दी गई अनुसूची के उपयुक्त खण्ड में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन से इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकारों की मंजूरी देता है। एतत्पश्चात्, इन सेवाओं और मार्गों को क्रमशः *सहमत सेवाएं* और *विनिर्दिष्ट मार्ग* कहा गया है।

2. इस करार के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को निम्नलिखित अधिकार होंगे:-

(क) बिना अवतरण दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के पार उड़ान भरने का अधिकार,

(ख) दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए स्टाप का अधिकार, तथा

(ग) विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवा प्रचालित करते समय प्रतयेक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में इस करार की अनुसूची में उस मार्ग के लिए विनिर्दिष्ट स्थल (स्थलों) पर पृथक-पृथक

सत्यमेव जयते

अथवा संयुक्त रूप से यात्रियों और डाक सहित कार्गो के रूप में अंतरराष्ट्रीय यातायात को विमान में चढ़ाने तथा उतारने का भी अधिकार होगा ।

3. इस करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ (3) और (4) के उपबंधों के अध्यधीन, इस करार के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत नामित विमान कंपनी (कंपनियों) को भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकार भी प्राप्त होंगे।

4. इस अनुच्देद के पैराग्राफ (2) में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में स्थित अन्य स्थल के लिए जाने वाले यात्रियों तथा डाक सहित कार्गो को विमान में ले जाने का विशेषाधिकार मिल गया है।

अनुच्छेद-3
विमानकंपनियों को नामित और प्राधिकृत करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजन से दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित में दो विमानकंपनियां तक नामित करने तथा ऐसे नामन को वापास लेने अथवा बदलने का अधिकार होगा।

2. ऐसा नामन प्राप्त होने पर दूसरा संविदाकारी पक्ष नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) और (4) के प्रावधानों के अध्यधीन बिना विलंब के उपयुक्त प्रचालन प्राधिकार प्रदान करेगा।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी से अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उन्हें आश्वस्त करे कि वह अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप इन प्राधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन पर सामान्यतया लगाए जाने वाले कानूनों और विनियमों के अंतर्गत विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य है।

4. ऐसे किसी भी मामले में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार मंजूर करने से मना करने अथवा किसी नामित विमानकंपनी द्वारा इस करार के अनुच्छेद 2(2) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जिन्हें वह आवश्यक समझे जिसमें उक्त संविदाकारी पक्ष इस बारे में आश्वस्त नहीं हो कि उस विमानकंपनी का *वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण* विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा उसके राष्ट्रिकों में निहित है इस पैरा के प्रयोजनार्थ वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण का तात्पर्य वैसे किसी मामले से है जहां नामित विमानकंपनी किसी दूसरे देश की एयरलाइन अथवा सरकार अथवा किसी दूसरे देश के

राष्ट्रिकों से करार (वित्तीय पट्टा करारों को छोड़कर) करके सहमत सेवाएं प्रचालित करती है, विमानकंपनी को नामित करने वाले किसी संविदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिकों को नामित विमानकंपनी के वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण में नहीं समझा जाएगा जबतक कि संविदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिकों के पास नामित विमानकंपनी की परिसंपत्तियों के प्रमुख हिस्से के स्वामित्व के अतिरिक्त निम्न भी शामिल नही हों :-

(1) नामित विमानकंपनी के प्रबंधन में प्रभावी नियंत्रण, और

(2) नामित विमानकंपनी के विमान बेड़े के प्रमुख हिस्से तथा उपस्करों का स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण।

5. नामित और प्राधिकृत कर दिए जाने पर विमानकंपनी सहमत सेवाओं का प्रचालन शुरू कर सकती है बशर्ते कि विमानकंपनी इस करार के प्रयोज्य उपबंधों का अनुपालन करती हो।

अनुच्छेद-4
प्रचालन प्राधिकारों का प्रतिसंहरण अथवा निलंबन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष का एक दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को मंजूर किए गए प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहृत अथवा निलंबित करने अथवा इस करार के अनुच्छेद 2(2) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें जिन्हें वह आवश्यक समझे, लगाने का अधिकार है:-

(क) किसी भी मामले में जहां वह आश्वस्त नहीं हो कि उस विमानकंपनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उस विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा उस संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित है, अथवा

(ख) इन अधिकारों को मंजूर करने वाले संविदाकारी पक्ष द्वारा सामान्यतया लागू किए जाने वाले कानूनों और/अथवा विनियमों का अनुपालन करने में उस विमानकंपनी के विफल रहने की स्थिति में, अथवा

(ग) यदि विमानकंपनी इस करार के अंतर्गत विहित शर्तों के अनुसार प्रचालन करने में अन्यथा विफल रहती हो।

2. जब तक कानूनों और/अथवा विनियमों अथवा इस करार के उपबंधों का और आगे अतिलंघन रोकने के लिए प्रचालन प्राधिकार का तत्काल प्रतिसंहरण अथवा निलंबन अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित शर्तों का तत्काल लगाया जाना आवश्यक न हो, ऐसे अधिकारों का प्रयोग इस करार के अनुच्छेद 15 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके ही किया जाएगा।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-5
प्रयोक्ता प्रभार

1. कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) पर समान अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित करने वाली अपनी विमानकंपनियों पर लगाए गए प्रयोक्ता प्रभारों से अधिक प्रयोक्ता प्रभार नहीं लगाएगा अथवा लगाने की अनुमति देगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने प्रभार वसूलने वाले सक्षम प्राधिकारियों और इन प्राधिकारियों द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं और सुविधाओं का प्रयोग करने वाली विमानकंपनियों के बीच प्रयोक्ता प्रभारों के संबंध में विचार-विमर्श को बढ़ावा देगा और जहां व्यवहार्य हो, ऐसा उन विमानकंपनियों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से किया जाएगा। प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तन करने के किसी भी प्रस्ताव के लिए ऐसे प्रयोक्ताओं को यथोचित नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि परिवर्तन किए जाने से पूर्व वे अपने विचार व्यक्त कर सकें।

अनुच्छेद-6
प्रभारों से छूट

1. दोनों में से किसी संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर प्रचालित विमान में रखे उनके नियमित उपस्कर, ईंधन की आपूर्ति और स्नेहक तथा विमान भण्डार (भोजन, पेय पदार्थ और तम्बाकू सहित) दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में पहुंचने पर ऐसे विमानों को सभी सीमा शुल्क प्रभार, निरीक्षण शुल्क और इसी तरह के अन्य प्रभारों से छूट होगी बशर्ते ऐसे उपस्कर और आपूर्ति विमान में ऐसे समय तक रखे रहें जब तक कि उनका पुनर्निर्यात नहीं किया जाता अथवा उनका प्रयोग उक्त राज्यक्षेत्र से होकर की गई यात्रा के भाग में किया गया हो।

2. सेवा की लागत पर आधारित प्रभारों के अतिरिक्त इस अनुच्छेद के पैरा (1) में संदर्भित ड्यूटी, शुल्क और प्रभारों से भी छूट होगी बशर्ते कि:-

(क) दोनों में किसी संविदाकारी पक्ष के राजयक्षेत्र में शामिल किया गया अथवा आपूर्ति किया गया विमान भंडार (भोजन, पेय पदार्थ तथा तम्बाकू सहित) और उचित सीमाओं के भीतर विमान में रखे गए हों ताकि उनका उपयोग किसी नामित विमानकंपनी की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा में लिप्त दूसरे संविदाकारी पक्ष के बाहर जाने वाले विमानों के प्रयोग के लिए हों।

(ख) दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में प्रयुक्त विमान के अनुरक्षण अथवा मरम्मत के लिए किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में लगाए गए अतिरिक्त कल पुर्जे।

(ग) अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा में रत अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी के बाहर जाने वाले विमान में एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में आपूर्ति ईंधन और स्नेहक, यहां तक कि ये आपूर्तियां उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में की गई यात्रा के एक भाग में प्रयोग की जाने वाली हो जहां उन्हें विमान में लिया गया हो।

3. इस अनुच्छेद के पैरा (2) में संदर्भित उपस्कर और आपूर्ति को सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण अथवा सीमा शुल्क नियंत्रण के अधीन रखा जाना अपेक्षित हो सकता है।

4. विज्ञापन और सूचना सामग्रियों, परिवहन कागजातों पर पारस्परिक आधार पर सभी सीमा शुल्क, ड्यूटी तथा कर से भी छूट होगी जो नामित विमानकंपनी द्वारा प्रयोग किये जाने हैं और यह प्रदान की गई सेवा की लागत पर आधारित प्रभारों पर लागू नहीं होगा।

5. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमानों में नियमित वैमानिक उपस्कार के साथ-साथ विमान में रखी गई सामग्री तथा आपूर्ति को सिर्फ उस राज्यक्षेत्र के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उन्हें उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में ऐसे समय तक रखा जा सकता है जबतक उन्हें पुनर्नियाति किया जाता है अथवा सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार अन्यथा उन्हें बेचा जाता है।

6. किसी संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र से होकर प्रत्यक्ष पारगमन में सामान और कार्गो को सीमा-शुल्क, ड्यूटियों तथा उन अतिरिक्त करों अथवा प्रभारों से छूट होगी जो आगमन अथवा प्रस्थान के पश्चात् उपलब्ध कराई गई सेवाओं की लागत पर आधारित नहीं हैं।

अनुच्छेद-7
प्रतिनिधित्व

1. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को परस्परता के आधार पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में यथा अपेक्षित अपने प्रतिनिधि तथा वाणिज्यिक, प्रचालनात्मक और तकनीकी स्टाफ रखने की अनुमति होगी।

2. नामित विमानकंपनी की मर्जी पर, स्टाफ संबंधी ये आवश्यकताएं इसके अपने कार्मिकों द्वारा अथवा दूसरे संगठन, कंपनी या दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रचालन कर रही और उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत विमानकंपनी की सेवाओं का प्रयोग करके, पूरी की जा सकती हैं।

3. ये प्रतिनिधि और स्टाफ दूसरे संविदाकारी पक्ष के लागू कानूनों और विनियमों के अध्यधीन रहेंगे तथा ऐसे कानूनों और विनियमों के अनुरूप ऐसा संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित प्रतिनिधियों और स्टाफ को परस्परता के आधार पर तथा न्यूनतम विलम्ब से आवश्यक कार्य-परमिट, नियोजन वीजा या ऐसे ही अन्य कागजात प्रदान करेगा।

4. परस्परता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को अपने राज्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और अपने विवेक पर अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से विमान परिवहन की बिक्री करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नामित विमानकंपनी को संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसे परिवहन की बिक्री करने का अधिकार होगा जहां ऐसा विनिमय किया गया है तथा कोई भी व्यक्ति ऐसे परिवहन को स्थानीय मुद्रा में या किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में खरीदने हेतु स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद-8
कानूनों की प्रयोज्यता

1. अंतरराष्ट्रीय हवाई दिक्चालन में रत विमानो के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश और वहां से प्रस्थान को अथवा उसके राजयक्षेत्र के अंदर ऐसे विमानों के प्रचालन तथा दिक्चालन को शासित करने वाले एक संविदाकारी पक्ष के कानून और विनियम दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी के विमानों पर लागू होंगे।

2. यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो और डाक के उसके राज यक्षेत्र में प्रवेश, मुकाम और वहां से प्रस्थान को शासित करने वाले एक संविदाकारी पक्ष के काननू और विनियम जैसे पासपोर्ट, सीमाशुल्क, मुद्रा और स्वास्थ्य एवं संगरोध से संबंधित कानून और विनियम, उनके उक्त राज्यक्षेत्र में रहते समय दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी के विमानों द्वारा वाहित यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो और डाक पर लागू होंगे।

3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष अपने सीमा शुल्क, आब्रजन, संगरोध तथा ऐसे ही विनियमों के अनुप्रयोग के संबंध में इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में रत

दूसरे संविदाकारी पक्ष की किसी नामित विमानकंपनी की तुलना में अपनी स्वयं की अथवा किसी अन्य विमानकंपनी को तरजीह नहीं देगा।

4. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सीधे पारगमन वाले यात्री अत्यधिक सरलीकृत नियंत्रण से अधिक के अधीन नहीं होंगे। सीधे पारगमन वाला सामान और कार्गो, सीमा-शुल्क और इसी प्रकार के अन्यकरों से मुक्त होगा।

अनुच्छेद-9
सहमत सेवाओं के प्रचालन को शसित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों को उनके अपने-अपने राजयक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिए उचित और समान अवसर प्राप्त होंगे।

2. सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियां) दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि उस दूसरी विमानकंपनी द्वारा उस सम्पूर्ण मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं पर अनावश्यक रूप से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3. नामित विमानकंपनियों द्वारा सहमत सेवाओं पर प्रदान की जाने वाली क्षमता का दोनों संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच विमान परिवहन संबंधी अनुमानित आवश्यकताओं के साथ निकट का संबंध होगा।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों द्वारा प्रचालित सेवाओं की आवृत्ति और उपलब्ध कार्रवाई जाने वाली क्षमता पर सहमति संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच होगी।

5. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति और/अथवा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता में कोई भी वृद्धि मुख्यत: संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकताओं पर आधारित होगी और वह दोनों देशों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति की शर्त के अधीन होगी। इस प्रकार की सहमति अथवा समझौता होने तक पहले से लागू क्षमता और आवृत्ति पात्रताओं का निर्वाह किया जाता रहेगा।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-10
प्रचालन सूचना उपलब्ध कराना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) से अपेक्षा कर सकते हैं कि वह सेवा के प्रकार और इसकी आवृत्ति, प्रयोग में लाए जाने वाले विमान के प्रकार और उड़ान समयावलियों से संबंधित सूचना सहमत सेवाओं के उद्घाटनसे कम से कम साठ दिन पूर्व उनके विचार और अनुमोदन हेतु उनके पास भिजवाएं। जब कभी सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाना हो तब भी इस प्रकार की सूचना कम से कम तीस दिन पहले दी जाएगी।

2. नामित विमानकंपनी (कंपनियां) दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐसी कोई अन्य सूचना भी देगी (देंगी) जो उन्हें आश्वस्त करने के लिए अपेक्षित हो कि इस करार की अपेक्षाओं का विधिवत् पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद-11
आंकड़े उपलब्ध कराना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित विमानकंपनी (कंपनियों) से भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थलों का उल्लेख किया गया हो। इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र दिए जाएंगे किन्तु यह अवधि 30 दिन से अधिक की नहीं होगी।

2. अनुरोध किए जाने पर प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र को और वहां से उक्त अनुरोध में उल्लिखित एक आयटा सीजन से अनधिक अवधि में वाहित यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित विमानकंपनी (कंपनियों) से भिजवाएंगे।

3 कोई अतिरिक्त सांख्यिकीय यातायात आंकड़े जिसकी किसी संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी इच्छा कर सकते हैं, अनुरोध पर दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच परस्पर विचार विमर्श और समझौते के अध्ययधीन होगा।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-12
टैरिफ

1. निम्नलिखित पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए *टैरिफ* पद का अभिप्राय यात्रियों और कार्गो के वहन के लिए अदा की जाने वाली कीमतों और उन शर्तों से है जिनके अंतर्गत ये कीमतें लागू होती हैं। उक्त कीमतों में एजेंसी और अन्य अनुषंगी सेवाओं की कीमतें और शर्तें शामिल हैं परन्तु इसमें डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और शर्तें नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र तक अथवा वहां से वहन के लिए वसूल किए जाने वाले टैरिफ समुचित स्तरों पर निर्धारित किए जाएंगे जिसमें प्रचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य विमानकंपनियों के टैरिफों सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

3. यदि संभव हो तो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित टैरिफों का निर्धारण दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों के बीच सहमति से किया जाएगा और जब कभी संभव हो, ऐसी सहमति अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए की जाएगी।

4. इस प्रकार सहमत टैरिफ, उन्हें लागू किए जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम साठ (60) दिन पहले दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। यह अवधि, विशेष मामलों में, उक्त प्राधिकारियों की सहमति से कम की जा सकती है।

5. यह अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जाए। यदि किसी भी वैमानिकी प्राधिकारी ने इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अनुसार, प्रस्तुत किए जाने के तीस (30) दिन के भीतर अनुमोदन के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त नहीं की हो तो उन टैरिफों को अनुमोदित हुआ मान लिया जाएगा। पैराग्राफ (4) में किए गए प्रावधान के अनुसार, यदि प्रस्तुतीकरण की अवधि को कम किया जाता है तो वैमानिकी प्राधिकारी आपस में सहमत हो सकते हैं कि अस्वीकृति की अवधि, जिसके भीतर इसे अवश्य अधिसूचित किया जाए, तीस (30) दिन से कम होगी।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के अनुसार इस टैरिफ के निर्धारण पर सहमति नहीं हो सकती है या यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (5) के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को पैराग्राफ (3) के प्रावधानों के अनुसार, सहमत टैरिफ पर अपनी अस्वीकृति का नोटिस देता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारण करने का प्रयास करेंगे।

सत्यमेव जयते

7. यदि वैमानिकी प्राधिकारी, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए किसी टैरिफ पर अथवा पैराग्राफ (6) के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण पर सहमत नहीं हो सकते तो इस करार के अनुच्छेद 16 के उपबंधों के अनुसार इस विवाद का निपटान किया जाएगा।

8. इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक नए टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता। तथापि, इस पैराग्राफ के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह (12) महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता।

अनुच्छेद-13
उपार्जन का हस्तांतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को प्रथम संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में व्यय से अधिक अर्जित आय को अपने प्रधान कार्यालय भेजने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार का धन-प्रेषण उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाएगा, जिसके राज्यक्षेत्र में यह राजस्व अर्जित किया गया हो।

2. ऐसे हस्तांतरण मुद्रा भुगतान की सरकारी विनिमय दर के आधार पर किए जाएंगे अथवा जहां सरकारी विनिमय दरें नहीं हों वहां मुद्रा भुगतान प्रचलित विदेशी मुद्रा की बाजार दर पर किए जाएंगे।

3. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान के निपटारे को शासित करने के लिए कोई विशेष व्यवस्थाएं प्रभावी हैं तो इस अनुच्छेद के पैरा (1) के अधीन निधियों के हस्तांतरण के लिए ऐसी व्यवस्थाओं के उपबंध लागू किए जाएंगे।

अनुच्छेद-14
विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की अभिपुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरूद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, संविदाकारी पक्ष, विशेष रूप से, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किए गए अपराधों एवं कतिपय अन्य

कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधिविरूद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय 23 सितम्बर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधिविरूद्ध कार्य दमन अभिसमय अथवा विमानन सुरक्षा पर अन्य कोई अभिसमय जिसमें दोनों संविदाकारी पक्ष एक पक्ष रहे हैं, के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2. अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों के विधिविरूद्ध अभिग्रहण संबंधी कृत्यों और ऐसे विमान उनके यात्रियों तथा कर्मीदल, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों तथा नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद्ध किसी अन्य खतरे से बचाव के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष, अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक ये सुरक्षा अनुबंध इन पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्यक्षेत्र में है तथा अपने राज्यक्षेत्र के हवाई अड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात से सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, वहां से प्रस्थान करते समय या उसमें रहते समय ऊपर पैराग्राफ (3) में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके राज्यक्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुएं, सामान, कार्गो तथा विमान-भंडार विमान में लादने से पहले तथा लादने के दौरान उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपायय किये गये हैं। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु उचित विशेष सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा किय गये अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा।

5. जब किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या ऐसे किसी विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई अड्डों या हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध कोई गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो संविदाकारी पक्ष, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरन्त और सुरक्षापूर्वक समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ऐसे उपाय करेगा, जैसे कि वह व्यवहार्य समझे, और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि यदि कोई विमान गैर-कानूनी अभिग्रहण अथवा किसी अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कारण उसके राज्यक्षेत्र में उतरा है, भूमि पर रोका जाएगा बशर्ते कि मानव जीवन की रक्षा के लिए इसका वहां से भेजा जाना अनिवार्य न हो। जहां भी व्यवहार्य होगा, इस प्रकार के उपाय आपसी विचार-विमर्श के आधार पर किये जायेंगे।

अनुच्छेद-15
आशोधन

1 यदि दोनों में से कोई संविदाकारी पक्ष इस करार के किसी प्रावधान में परिवर्तन करना वांछनीय समझता है, यह अन्य संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श पर विचार कर सकता है, ऐसा परामर्श जो दो वैमानिकी प्राधिकारियों के मध्य हो सकते हैं और जो विचार-विमर्श अथवा पत्राचार के माध्यम से हो सकता है, जो अनुरोध किए जाने की तारीख से साठ (60) दिन की अवधि के भीतर शुरू हो सकता है जब तक संविदाकारी पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं हुई हो।

2. ऐसे सहमत हुए कोई आशोधन तब लागू होगा जब ये दोनों संविदाकारी पक्षों के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आवश्यक कार्यविधि के अनुसार अनुमोदित किए गए हों और राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान से जैसे ही इसकी अभिपुष्टि की गई हो।

3. इस करार के अनुबंध में किया गया कोई संशोधन संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के मध्य प्रत्यक्ष करार के द्वारा किया जा सकता है और उपयुक्त पत्रों के आदन-प्रदान के पश्चात यह लागू होगा।

अनुच्छेद-16
विवादों का निपटान

1. यदि इस करार के निर्वचन अथवा प्रयोज्यता के मामले में कोई विवाद उत्पन्न होता है,संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी अपने मध्य विचार-विमर्श के द्वारा इसे निपटाने का प्रयास करेंगे, ऐसा करने में असफल होने पर विवाद के निपटान हेतु इसे संविदाकारी पक्षों को भेजा जाएगा।

2. यदि संविदाकारी पक्ष बातचीत द्वारा किसी सहमति पर पहुंचने में असफल रहते हैं, वे विवाद को निर्णय हेतु किसी व्यक्ति अथवा निकाय को संदर्भित कर सकते हैं। यदि वे इस प्रकार से सहमत नहीं होते हैं, दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर विवाद को तीन विवाचकों, जिसमें से प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा एक-एक नाम

निर्दिष्ट किया जाना है और तीसरा विवाचक की नियुक्ति इस प्रकार नामजद दो विवाचकों द्वारा किया जाना है, के न्यायाधिकरण के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा विवाचक विवाचन न्यायाधिकरण का अध्यक्ष होगा। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष से ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा विवाद की मध्यस्थता का अनुरोध करते हुए राजनयिक माध्यमों से अधिसूचना की प्राप्ति के साठ (60) दिन की अवधि के भीतर एक विवाचक नामनिर्दिष्ट करेगा और तीसरा विवाचक आगामी साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर नियुक्त किया जाएगा। यदि दोनों में से काई भी संविदाकारी पक्ष विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक विवाचक नामनिर्दिष्ट करने में असफल रहते हैं अथवा यदि तीसरा विवाचक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नियुक्त नहीं किया जाता है अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के परिषद का अध्यक्ष दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर यथा अपेक्षित एक विवाचक अथवा विवाचकों की नियुक्ति करेगा। तीसरा विवाचक किसी तीसरे राज्य का राष्ट्रिक होगा और विवाचक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष होगा।

3. संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैरा (2) में दिए गए किसी निर्णय का अनुपालन करेंगे।

4. विवाचक न्यायाधिकरण अपने स्वयं की कार्यविधि का निर्धारण करेगा और विवाचक के व्यय का बंटवारा समान रूप से दोनों संविदाकारी पक्षों के मध्य होगा।

अनुच्छेद-17
बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

1. जिस हद तक अभ्सिमय के उपबंध इस करार के अंतर्गत स्थापित विमान सेवाओं के लिए प्रयोज्य हैं, वे इस करार की अवधि के लिए संविदाकारी पक्षो के बीच अपने वर्तमान रूप में इस तरह प्रभावी रहेंगे जैसे कि वे इस करार के अभिन्न अंग हों वे तब तक प्रभावी रहेगें जब तक दोनों संविदाकारी पक्ष अभिसमय में किए गए किसी संशोधन का अनुसमर्थन नहीं कर देते जो विधिवत् लागू हो गए हों, ऐसे मामले में यथा संशोधित अभिसमय इस करार की अवधि तक लागू होगा।

2. यदि दोनों सविदाकारी पक्षों के संबंध में कोई सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय प्रभाव में आता है तो ऐसे अभिसमय के उपबंध अभिभावी होंगे।।

अनुच्छेद-18
समाप्त करना

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार को समाप्त करने हेतु अपनी इच्छा के बारे में लिखित नोटिस दे सकता है। ऐसा नोटिस साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा। यदि ऐसा नोटिस

दिया जाता है तो ऐसे मामले में दूसरे संविदाकारी पक्ष को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से बारह महीने के बाद यह करार समाप्त हो जाएगा बशर्ते कि यह नोटिस उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले सहमति से वापस न ले लिया गया हो। दूसरे संविदाकारी पक्ष से पावती की सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को इस नोटिस की प्राप्ति के चौदह दिन बाद उक्त नोटिस प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा।

अनुच्छेद-19
पंजीकरण

यह करार और उसमें किया गया कोई आशोधन अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से पंजीकृत होगा।

अनुच्छेद-20
प्रवर्तन में आना

दोनों संविदाकारी पक्ष राजनयिक टिपणियों के आदान-प्रदान के द्वारा एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे कि उनकी परस्पर अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं। यह करार दोनों टिप्पणियों में से बाद वाली तारीख को प्रवर्तन में आएगा। जिसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों से विधिवत् रूप से प्राधिकृत होने के पश्चात् इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

---------नई दिल्ली---------में दिनांक---20.02.2007---को हिन्दी, अंग्रेजी और लिथुआनियाई भाषाओं में तीन मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में कोई मतभेद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते भारत गणतंत्र

कृते लिथुआनिया गणतंत्र सरकार